jktdh; egkfo|ky; <fy;kjk] rglhy ngjk] ftyk dkxMk] fgekpy in'k d fuf/k y[kkvk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronuA

vd{k.k vof/k 01-04-05 l 31-03-2010

Hkkx&,d

1 xr vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu %&

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पड़े पैरों के निपटारे हेतु महाविद्यालय प्रधानाचार्यों द्वारा कोई भी प्रभावी कार्यवाही न करने के कारण अधिकतम अनिर्णीत पैरों का वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निपटारा सम्भव नहीं हो सका। क्योंकि अवधि 8/84 से 3/2000 तक के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों का कोई भी सटिप्पण उत्तर वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलस्वरूप अधिकतम पैरों का समायोजन सम्भव न हो सका। अवधि 4/99 से 3/01 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पेरों में से कुछ एक अनिर्णीत पैरों के सटिप्पण उत्तर ही प्रस्तुत किए गए। जिनके सत्यापनोंपरान्त कुछ पैरों का समायोजन कर दिया गया है। विद्यालय प्रषासन द्वारा अधिकतम अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही अमल में न लाना प्रषासन की लापरवाही को परिलक्षित करता है। अतः समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत अनिर्णीत पैरों पर तुरन्त वांछित कार्यवाही की जानी सुनिष्चित की जाए। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 8@84 l 3@89 %&

1	पैरा 1(बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 3(3)	अनिर्णीत
5	पैरा 3(4)	अनिर्णीत
6	पैरा 3(5)	अनिर्णीत
7	पैरा 3(6)	अनिर्णीत
8	पैरा 3(8)	अनिर्णीत
9	पैरा 4(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 4(2)	अनिर्णीत
11	पैरा 4(5)	अनिर्णीत

12	पैरा 5	अनिर्णीत
13	पैरा 6(3)	अनिर्णीत
14	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
15	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(3)	अनिर्णीत
17	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
18	पैरा 8(3)	अनिर्णीत
19	पैरा 8(4)	अनिर्णीत
20	पैरा 8(5)(ए)	अनिर्णीत
21	पैरा 8(5)(बी)	अनिर्णीत
22	पैरा 8(5)(सी)	अनिर्णीत
23	पैरा 8(6)(ए)	अनिर्णीत
24	पैरा 8(6)(बी)	अनिर्णीत
25	पैरा 8(6)(सी)	अनिर्णीत
26	पैरा 8(8)	अनिर्णीत
27	पैरा 8(10)	अनिर्णीत
28	पैरा 8(11)	अनिर्णीत
29	पैरा 8(12)	अनिर्णीत
30	पैरा 8(13)	अनिर्णीत
31	पैरा 8(17)	अनिर्णीत
32	पैरा 8(18)	अनिर्णीत
33	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
34	पैरा 11(2)	अनिर्णीत

vid{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@89 ls 3@92 %&

1	पैरा 4(1)	अनिर्णीत

2	पैरा 4(3)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(7)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(3)	अनिर्णीत
7	पैरा 8(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(1)	अनिर्णीत
9	पैरा 9(2)	अनिर्णीत
10	पैरा 10	अनिर्णीत

vidk{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@92 ls 3@94 %&

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(ग)(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(ग)(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(ग)(3)	अनिर्णीत
7	पैरा 6(च)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(छ)	अनिर्णीत
9	पैरा 6(झ)	अनिर्णीत
10	पैरा 6(ट,ठ,ढ,ण,त,थ,द,ध)	अनिर्णीत
11	पैरा 7	अनिर्णीत
12	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
13	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
14	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
15	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत

16	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
17	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत
18	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
19	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
20	पैरा 12(घ)	अनिर्णीत
21	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
22	पैरा 13(ग)	अनिर्णीत
23	पैरा 13(घ)	अनिर्णीत
24	पैरा 13(ङ)	अनिर्णीत
25	पैरा 14	अनिर्णीत
26	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत

vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@94 l 3@98 ½&

1	पैरा 4(1)(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(2)(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(2)(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(4)(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(5)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(7)(क)	अनिर्णीत
7	पैरा 4(7)(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 4(8)(क)	अनिर्णीत
9	पैरा 4(8)(ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 4(9)(क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत
11	पैरा 4(10)	अनिर्णीत
12	पैरा 4(11)(क,ख)	अनिर्णीत
13	पैरा 4(12)(क,ख)	अनिर्णीत

14	पैरा 4(13)(क,ख)	अनिर्णीत
15	पैरा 4(14)	अनिर्णीत
16	पैरा 4(15)(क,ख,ग)	अनिर्णीत
17	पैरा 4(16)	अनिर्णीत
18	पैरा 4(17)(क)	अनिर्णीत
19	पैरा 4(17)(ख)	अनिर्णीत
20	पैरा 4(17)(ग)	अनिर्णीत
21	पैरा 4(17)(घ)	अनिर्णीत
22	पैरा 4(17)(ङ)	अनिर्णीत
23	पैरा 4(18)	अनिर्णीत
24	पैरा 4(19)	अनिर्णीत
25	पैरा 4(20)	अनिर्णीत
26	पैरा 4(21)(क)	अनिर्णीत
27	पैरा 4(21)(ख)	अनिर्णीत
28	पैरा 4(22)	अनिर्णीत
29	पैरा 4(23)	अनिर्णीत
30	पैरा 4(24)	अनिर्णीत
31	पैरा 5(1)(क)	अनिर्णीत
32	पैरा 5(1)(ख)	अनिर्णीत
33	पैरा 5(1)(ग)	अनिर्णीत
34	पैरा 5(2)(क)	अनिर्णीत
35	पैरा 5(2)(ख)	अनिर्णीत
36	पैरा 5(2)(ग)	अनिर्णीत
37	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
38	पैरा 5(4)	अनिर्णीत

39	पैरा 5(5)	अनिर्णीत
40	पैरा 5(6)	अनिर्णीत
41	पैरा 6(1)(क)	अनिर्णीत
42	पैरा 6(1)(ख)	अनिर्णीत
43	पैरा 6(2)(क)	अनिर्णीत
44	पैरा 6(2)(ख)	अनिर्णीत
45	पैरा 6(3)	अनिर्णीत
46	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
47	पैरा 6(5)	अनिर्णीत
48	पैरा 6(6)	अनिर्णीत
49	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
50	पैरा 7(2)(क)	अनिर्णीत
51	पैरा 7(2)(ख)	अनिर्णीत
52	पैरा 7(2)(ग)	अनिर्णीत
53	पैरा 7(3)(क)	अनिर्णीत
54	पैरा 7(3)(ख)	अनिर्णीत
55	पैरा 8(1)	अनिर्णीत
56	पैरा 8(2)(क,ख)	अनिर्णीत
57	पैरा 8(3)(क)	अनिर्णीत
58	पैरा 8(4)	अनिर्णीत
59	पैरा 8(5)	अनिर्णीत
60	पैरा 9(1)(क)	अनिर्णीत
61	पैरा 9(1)(ख)	अनिर्णीत
62	पैरा 9(1)(ग)	अनिर्णीत
63	पैरा 9(2)(क)	अनिर्णीत

64	पैरा 9(2)(ख)	अनिर्णीत
65	पैरा 9(3)(क)	अनिर्णीत
66	पैरा 9(3)(ख)	अनिर्णीत
67	पैरा 9(4)	अनिर्णीत
68	पैरा 9(5)	अनिर्णीत
69	पैरा 9(6)(क)	अनिर्णीत
70	पैरा 9(6)(ख)	अनिर्णीत
71	पैरा 9(6)(ग)	अनिर्णीत
72	पैरा 9(7)	अनिर्णीत
73	पैरा 10(1)	अनिर्णीत
74	पैरा 10(2)	अनिर्णीत
75	पैरा 10(3)	अनिर्णीत
76	पैरा 10(4)(क)	अनिर्णीत
77	पैरा 10(4)(ख)	अनिर्णीत
78	पैरा 10(4)(ग)	अनिर्णीत
79	पैरा 10(5)	अनिर्णीत
80	पैरा 10(6)	अनिर्णीत
81	पैरा 10(7)	अनिर्णीत
82	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
83	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
84	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
85	पैरा 12	अनिर्णीत
86	पैरा 13(1)	अनिर्णीत
87	पैरा 13(2)(क)	अनिर्णीत
88	पैरा 13(2)(ख)	अनिर्णीत

89	पैरा 13(3)	अनिर्णीत
90	पैरा 13(4)	अनिर्णीत
91	पैरा 13(5)	अनिर्णीत
92	पैरा 14(1)(क)	अनिर्णीत
93	पैरा 14(1)(ग)	अनिर्णीत
94	पैरा 14(4)	आंषिक रूप से निर्णीत
95	पैरा 14(6)	अनिर्णीत
96	पैरा 14(8)	अनिर्णीत
97	पैरा 14(9)	अनिर्णीत
98	पैरा 17	अनिर्णीत

vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@98 ls 3@99 %&

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(ग)(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(ग)(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(च)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(छ)	अनिर्णीत
11	पैरा 6	अनिर्णीत
12	पैरा 7(1)	अनिर्णीत

13	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
14	पैरा 7(3)	अनिर्णीत
15	पैरा 7(4)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(5)	अनिर्णीत
17	पैरा 7(6)	अनिर्णीत
18	पैरा 8	अनिर्णीत
19	पैरा 9	अनिर्णीत
20	पैरा 10	अनिर्णीत
21	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
22	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
23	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
24	पैरा 11(4)	अनिर्णीत
25	पैरा 11(6)	अनिर्णीत

vid{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@99 l 3@2001 %&

1	पैरा 4	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
2	पैरा 5	अनिर्णीत	(₹650.00 की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
3	पैरा 6	अनिर्णीत	
4	पैरा 7	अनिर्णीत	
5	पैरा 8	निर्णीत	(अनुपालना की सत्यापना उपरान्त)
6	पैरा 9	निर्णीत	(रसीद बुकों की सत्यापना उपरान्त)
7	पैरा 10	अनिर्णीत	
8	पैरा 11(1)	निर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टि की सत्यापना उपरान्त)
9	पैरा 11(2)	निर्णीत	(हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय के अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII. 42.2(V) व (XIV) के अनुसार देय)
10	पैरा 11(3)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर व हिमाचल प्रदेश

			विष्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के नियम 42.2 (XVIII) के अनुसार देय)
11	पैरा 11(4)	अनिर्णीत	
12	पैरा 11(5)	अनिर्णीत	
13	पैरा 11(6)	निर्णीत	(संगीत निधि की राशि मिश्रित निधि में जमा करवाने के कारण मिश्रित निधि से बाद्य यन्त्रों का व्यय नियमित है व स्टॉक प्रविष्टि की सत्यापना उपरान्त)
14	पैरा 11(8)	अनिर्णीत	
15	पैरा 11(9)(1)	अनिर्णीत	
16	पैरा 11(9)(2)	अनिर्णीत	
17	पैरा 11(9)(3)	अनिर्णीत	
18	पैरा 11(10)(1)	अनिर्णीत	
19	पैरा 11(10)(2)	अनिर्णीत	
20	पैरा 11(10)(3)	अनिर्णीत	
21	पैरा 11(10)(4)	अनिर्णीत	
22	पैरा 11(11)(1)	अनिर्णीत	
23	पैरा 11(11)(2)	अनिर्णीत	
24	पैरा 12(1)	अनिर्णीत	
25	पैरा 12(2)	अनिर्णीत	
26	पैरा 13	अनिर्णीत	
27	पैरा 14(1)	अनिर्णीत	
28	पैरा 14(2)	अनिर्णीत	
29	पैरा 14(ख)	अनिर्णीत	
30	पैरा 14(ग)(1)	अनिर्णीत	
31	पैरा 14(ग)(2)	अनिर्णीत	
32	पैरा 15(1)	अनिर्णीत	

33 पैरा 15(2) अनिर्णीत

34 पैरा 15(3) अनिर्णीत

Hkkx nks

2 ¼d½ orZeku vads{k.k ¼&

राजकीय महाविद्यालय ढलियारा के वर्तमान निधि लेखों का अंकेक्षण/जांच परीक्षण श्री राज कुमार, (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री सुषील कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 22.06.2010 से 24.07.2010 तक के दौरान महाविद्यालय ढलियारा में किया गया। जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्षाए गए हैं। विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया। आय :– 10/05, 11/06, 11/07, 03/09, 11/09

व्यय :– 10/05, 1/07, 5/07, 12/08, 9/09

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। महाविद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना या जो सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित उपरोक्त उल्लेखित मासों तक सीमित है।

¼[k½ वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य/आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में महाविद्यालय में कार्यरत रहे हैं।

Øe la[;k	vkgj.k ,o forj.k vf/kdkjh dk uke	vof/k
1	श्री एम0आर0 शर्मा	14.06.04 से 31.10.05
2	श्री वी0पी0 अहलूवालिया (कार्यवाहक)	01.11.05 से 27.06.06
3	मेजर मंजुला शर्मा	28.06.06 से 23.06.07
4	श्री जे0के0 चौधरी (कार्यवाहक)	24.06.07 से 10.07.07
5	श्री वी0पी0 अहलूवालिया	11.07.07 से 31.05.09
6	श्री आर0पी0 शर्मा (कार्यवाहक)	01.06.09 से 03.06.09

7	श्री आर0पी0 जिंदल	04.06.09 से 31.03.10 तक

3 vid{k.k 'kYd %&

राजकीय महाविद्यालय ढलियारा के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर राशि ₹35,000.00 आंका गया है। जिसे प्रधानाचार्य द्वारा के0बी0सी0सी0 बैंक नैहनपुखर के ड्राफ्ट संख्या 229731, दिनांक 12.07.10 के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया। अंकेक्षण शुल्क का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

foÙkh; o"k	fuf/k;k ls vk;	vid{k.k 'kYd
2005–06	13,36,567.00	7,000.00
2006–07	13,62,994.00	7,000.00
2007–08	12,46,923.00	7,000.00
2008–09	15,35,077.00	7,000.00
2009–10	13,61,406.00	7,000.00
	dy ;kx	₹35]000-00

4 foRrh; fLFkfr :–

राजकीय महाविद्यालय ढलियारा के निधि लेखों अवधि 01.04.05 से 31.03.10 तक की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट ''क'' में दर्षाई गई है तथा अन्तिम शेष का विवरण परिशिष्ट 'ख'' में दर्षाया गया है।

5 lkbl fuf/k ls Hkkfrdh i;kx'kkyk gr LFkkbl lkeku dk vuko';d Ø; %&

सांईस निधि की जाँच करने पर पाया गया कि सांईस निधि से अनावष्यक क्रय किया गया है क्योंकि स्टॉक रजिस्टर में जो सामान पहले से ही मौजूद था व अच्छी हालत में है, का भी पुनः बिना किसी आवष्यक से क्रय कर लिया गया है। अतः अनावष्यक क्रय करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिष्चित की जाए व भविष्य में इस प्रकार के अनावययक क्रय रोकने हेतु परामर्ष दिया जाता है कि क्रय से पूर्व स्टॉक रजिस्टरों की जाँच की जाए व पहले से ही स्टॉक में अच्छी हालत में शेष बची मदों का क्रय न किया जाए। इसके अतिरिक्त क्रय आगामी वर्ष की खपत को मध्यनजर रखते हुए वार्षिक अनुमानित आकलन के आधार पर एवं गत वर्ष की वास्तविक खपत को मध्यनजर रखते हुए ही किया जाए। ताकि अनावष्यक क्रय को रोकना सम्भव हो सके। अनावष्यक क्रय का संक्षिप्त विवरण स्टॉक रजिस्टर के अनुसार निम्नलिखित है :–

(i) भौतिक विज्ञान स्टॉक रजिस्टर नम्बर–1

Ø0 l0	fnukd	en dk uke	ek=k	nj	eY;	igy l ek tn ek=k o i t u0
1	05.10.05	हॉफ वेब रैकटीफायर	2	2500	5000	2, पेज नम्बर 183
2	05.10.05	मिलिकॉन ऑयल ड्रोप अपरेटस	2	4500	9000	1, पेज नम्बर 208
3	05.10.05	वी0एच0कर्व अपरेटस	2	6300	12600	5, पेज नम्बर 231
			dy ;kx		₹26600	

6 माह 1/07 में ₹4,00,000.00 का अग्रिम सांईस निधि से वाऊचर संख्या 83 के अर्न्तगत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक डिवैलपमैन्ट कॉरपोरेषन खलीनी, षिमला को कम्पयूटर व यू0पी0एस0 व प्रिन्टर क्रय करने हेतु दिया गया है। उक्त अग्रिम के समायोजन वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त अग्रिम राशि का समायोजन माह 5/07 में किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। बिल संख्या 15,660, दिनांक 30.12.06 के अर्न्तगत व बिल संख्या 15454, दिनांक 13.12.06 के अर्न्तगत व बिल संख्या 16129, दिनांक 20.03.07 के अनर्तगत क्रय सामान का विवरण :–

Ø0 l0	en dk uke	ek=k	nj	eY;
1	कम्पयूटर डैल पी–4	15	27,932.69	4,18,990.35
		4% VAT		16]759-67
			dy ;kx	4]35]750-02
2	यू0पी0एस0	5	15,647.20	78,236.00
		4% VAT		3]129-00
			dy ;kx	81]365-00
3	थ्री इनवन प्रिन्टर	1	7,280.00	7,280.00
	कुल योग क्रम संख्या (1),(2) व (3)			5]24]395-00
	माह 1/07 में अग्रिम राशि			4]00]000-00
	माह 5/07 मे शेष भुगतान की गई राशि			₹1]24]395-00

उक्त क्रय सामान की स्टॉक प्रविष्टि स्वतः वित्त पोषित वी0सी0ए0 व पी0जी0डी0सी0ए0 विभाग के स्टॉक रजिस्टर नम्बर 1 में दर्ज है। हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय–XLII नियम 42.2 के अनुसार प्रधानाचार्य स्वतः वित्त पोषित वी0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0 विभाग हेतु साइंस निधि से अग्रिम देने व व्यय करने हेतु सक्षम नहीं है। अतः उक्त सम्पूर्ण व्यय ₹5,24,395.00 साईंस निधि पर उचित एवं वैध प्रभार नहीं है। अतः सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित उचित स्त्रोत से की जाए अन्यथा सम्पूर्ण अनियमित व्यय की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके नियमितिकरण करें व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

7 (i) जाँच में पाया गया कि माह 10/05 में वाऊचर संख्या 60(iii) के अर्न्तगत सांईस निधि से ₹21,000.00 का भुगतान मैसर्ज़ जी0आर0 साईंटिफिक, अम्बाला कैंट को उनके बिल संख्या 107, दिनांक 15.09.05 के अर्न्तगत क्रय किए साईंस के सामान हेतु किया गया है। उक्त क्रय निविदाओं के आधार पर किया गया है। उक्त क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित सरकारी दर संविदा के आधार पर न करके हिमाचल प्रदेश से बाहर अम्बाला कैंट से खरीद करने का ठोस तथ्यों सहित अंकेक्षण को औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) वाऊचर संख्या 61, माह 10/05 के दौरान ₹418.00 का भुगतान मैसर्ज़ गगन ट्रेर्डज़ देहरा को किया गया है। उक्त व्यय के समर्थन में सम्बन्धित बिल/वाऊचर सम्बन्धित साईंस निधि की वाऊचर फाईल में मौजूद नहीं है। फलस्वरूप उक्त व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः वांछित वाऊचर जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा वाऊचर के अभाव में सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी से की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में तदानुसार सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

8 वाऊचर संख्या 60(i), माह 10/05 में ₹1,40,804.00 का भुगतान मैं0 ए0एन0 ट्रैर्डज़ धर्मषाला को बिल संख्या 238, दिनांक 16.09.05 के अर्न्तगत खरीदे गए भौतिकी प्रयोगषाला हेतु सामान के उपलक्ष्य में किया गया है। उक्त क्रय हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के अनुरूप टैण्डर आमन्त्रित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुकूलन करवाया जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के अनुरूप ही आवष्यक निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही क्रय किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

9 <u>t y iku i j vfu;fer 0; ; jkf'k ₹6]580-00</u> ¼&

वाऊचर संख्या 279, माह 9/09 के दौरान ₹2,870.00 जलपान व्यय हेतु खर्च किए गए दर्षाए हैं व वाऊचर संख्या 289, माह 9/09 के दौरान ₹3,710.00 जलपान व्यय हेतु खर्च किए गए दर्षाए हैं। उक्त दोनों वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त जलपान व्यय सी0एस0सी0ए0 चुनाव हेतु प्रधानाचार्य की छात्रों

को शपथ समारोह के दौरान जलपान हेतु व्यय किए गए है। हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के नियमों में उपरोक्त उल्लेखित गतिविधियों के दौरान जलपान पर मिश्रित निधि से व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप सम्पूर्ण जलपान पर दर्षाया गया व्यय ₹6,580.00 (₹2,870+₹3,710) निधि पर उचित एवं वैद्य प्रभार नहीं है व सम्पूर्ण व्यय अनियमित व्यय है। अतः सम्पूर्ण राशि की वसूली अनियमित व्यय करने हेतु उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। वैकल्पिक तौर पर सम्पूर्ण अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

10 ¼i½ jlk;fudh i;ksx'kkyk gsrq lkbZl fuf/k ls ₹42]480-00 ds jlk;uksa dk vuko';d Ø; ¼&

जाँच के दौरान पाया गया कि रसायनिकी प्रयोगषाला हेतु रसायनों का अनावष्यक क्रय किया गया है जबकि स्टॉक रजिस्टर के अनुसार उक्त रसायन उचित मात्रा में पहले से ही प्रयोगषाला में मौजूद थे। अनावष्यकरूप से क्रय किए गए रसायनों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से है :–

Ø0 l0	jlk;u dk uke	LVkd jftLVj i`"B l0	Ø; ek=k	nj	ewY;	igys ls ekStwn ek=k	o"kZ 2009&10 esa [kir
1	अमोनिया सल्यूषन	299	2.5 Liter x 15 no. 290 = 37½ Liter	290	4350	10 ली0	10 ली0
2	ऐसिटोन	300	2.5 Liter x4 no.=10 Liter	630	2520	7.5 ली0	7.5 ली0
3	वैन्ज़ीन	325	2.5 liter x 4 =10 liter	650	2600	10½ ली0	10 ली0
4	आयोडीन	309	100 g x 10 =1kg	525	5250	½ कि0ग्रा	400 ग्रा0
5	पोटाशियम आयोडीन	319	500g x 10=5 kg	2070	20700	2 kg	3 कि0ग्रा
6	कार्बनटैंटस क्लोराईड	317	2.5 litter x 4=10 litter	1765	7060	10 litter	15 ली0
				dqy ;ksx	₹42]480-00		

उपरोक्त उल्लेखित विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि महाविद्यालय में रसायनों का क्रय आगामी वर्ष की खपत व छात्रों की संख्या को मध्यनजर रखते हुए नहीं किया गया, अर्थात रसायनों का अनावष्यक क्रय किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में इस प्रकार के अनावष्यक क्रय को रोकने हेतु परामर्ष दिया जाता है कि रसायनों का क्रय करने से पूर्व स्टॉक रजिस्टरों मे शेष बची मात्रा की जाँच की जाए व छात्रों की संख्या व प्रतिछात्र रसायन की सम्भावित खपत प्रति प्रयोग को मध्यनजर रखते हुए ही रसायनों का आगामी क्रय किया जाए ताकि अनावष्यक क्रय से बचा जा सके।

¼ii½ जाँच में पाया गया कि रसायनों की खपत नियमों के अनुरूप न दर्षाकर वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही दर्षाई गई है जोकि नियमों की अवहेलना है। भविष्य में रसायनों की खपत दिनांक वार, छात्रों की संख्या, प्रयोग हेतु प्रति छात्र अपेक्षित रसायन की मात्रा व प्रयोग का नाम स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने उपरान्त दर्षाइ जानी सुनिष्चित की जाए। ताकि रसायनों के किसी भी प्रकार के दुरूपयोग की सम्भावना से बचा जा सके।

11 रसायनों के अतिरिक्त अन्य अस्थाई सामान भी अत्याधिक मात्रा मे अनावष्यक रूप मे क्रय किया गया है। जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है :–

Ø0 l0	LVkWd jftLVj i`t u0	igys ls LVkWd esa 'ks"k ek=k	Ø; dh frfFk	en dk uke	ek=k	nj	ewY;
1	36	300	19.02.08	टैस्ट टयूब	500	6	3,000.00
2	35	20	19.02.08	फ्लास्क फ्लैट	12	95	1,140.00
3	62	18	23.11.06	टन्गास एस0एस	12	75	900.00
4	167	35	23.11.06	कोनिकल फ्लास्क	18	90	1,620.00
					dqy ;ksx		₹6]660-00

अतः अनावष्यक क्रय का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व भविष्य हेतु परामर्ष दिया जाता है कि क्रय स्टॉक रजिस्टरों में शेष बची मात्रा के उपभोग उपरान्त ही आवष्यकतानुसार आगामी क्रय किया जाना सुनिष्चित किया जाए ताकि किसी प्रकार के अपव्यय से बचा जा सके।

12 <u>fefJr fuf/k ls jkf'k ₹1]02]015-00 ds fcty@VsyhQksu ds fcyksa dk vfu;fer Hkqxrku</u> %&

जाँच के दौरान पाया गया कि मिश्रित निधि से निम्नलिखित विवरणानुसार बिजली एवं टैलीफोन के बिलों का भुगतान किया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय–XLII के नियम 42.2 के अनुसार उक्त व्यय मिश्रित निधि से करने हेतु प्रधानाचार्य सक्षम नहीं है क्योंकि उपरोक्त उल्लेखित हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय –XLII के नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप सम्पूर्ण व्यय मिश्रित निधि पर उचित एवं वैध प्रभार नहीं है। अतः सम्पूर्ण राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त यह राशि मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Ø0 l0	ekg	okÅpj l[;k	jkf'k	fVIi.kh
1	4/05	325	9,093.00	बिजली बिल
2	6/05	337	8,178.00	बिजली बिल
3	10/05	369	19,284.00	बिजली बिल
4	10/05	383	13,281.00	बिजली बिल
5	1/07	561	13,635.00	बिजली बिल
			2,916.00	टैलीफोन बिल
6	5/07	594	2,576.00	टैलीफोन बिल
			10,977.00	बिजली बिल
7	12/08	152	15,010.00	बिजली बिल
8	9/.......	295	7,065	बिजली बिल
		d|y ;kx	₹1]02]015-00	

13 ekun; d : i e fefJr fuf/k l 11]14]141-00 dk xyr ,o vfu;fer Hkxrku %&

जाँच के दौरान पाया गया कि मिश्रित निधि से निम्नलिखित विवरणानुसार प्रवक्ता, क्लर्क, सफाई कर्मचारी व चपड़ासी को मानदेय का भुगतान किया गया जो कि मिश्रित निधि पर उचित एवं वैध प्रभार नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय–XLII ''कॉलेज प्रधानाचार्य की मिश्रित निधि से व्यय करने की शक्तियों '' में उक्त प्रकार के मानदेय का भुगतान मिश्रित निधि से करने का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वहन की जाए व सम्पूर्ण राशि मिश्रित निधि में जमा करवाई जानी अपेक्षित है अन्यथा अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण किया जाए व अनुपालना से यथा समय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

Ø0 l0	okÅpj l[;k	ekg	deZpkjh dk uke o in	ekun; d :i e Hkqxrku dh xbZ jkf'k
1	330	6/05	देवराज, सफाई कर्मचारी	1,950.00
2	331	6/05	राज कुमार, क्लर्क	2,475.00
3	332	6/05	कृष्णा, चपड़ासी	1,950.00
4	370	10/05	राज कुमार, क्लर्क	2,581.00
5	370	10/05	देवराज, सफाई कर्मचारी	2,030.00
6	401	10/05	देवराज, सफाई कर्मचारी	2,170.00
7	403	10/05	राज कुमार, क्लर्क	2,759.00
8	559	12/06	देवराज, सफाई कर्मचारी	2,170.00
9	588	5/07	देवराज, सफाई कर्मचारी	2,250.00
10	124 व 156	12/08	विनोद कुमार, प्रवक्ता भौतिकी	6,900.00
				6300.00
11	127	12/08	सौरभ शर्मा, क्लर्क	3,556.00
12	128	12/08	प्रवीन कुमार, क्लर्क	3,556.00
13	130	12/08	कृष्णा, चपड़ासी	3,000.00
14	131	12/08	दिलबर राय, सफाई कर्मचारी	2,300.00
15	136 व 154	12/08	सुनीता, संगीत प्रवक्ता	7,200.00
				6,300.00
16	137 व 155	12/08	विनोद, संगीत प्रवक्ता	6,300.00
				6,300.00
17	138 व 153	12/08	मीनाक्षी, प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान	6,300.00
				6,300.00

18	140	12/08	अरूण कुमार, प्रवक्ता संस्कृत	6,000.00
19	141 व 157	12/08	अक्षय कुमार, प्रवक्ता अंग्रेजी	2,850.00 1,950.00
20	158	1/09	प्रवीण कुमार, क्लर्क	3,937.00
21	160	1/09	दिलबर राम, सफाई सेवक	2,700.00
22	159	1/09	सौरभ शर्मा, क्लर्क	3,937.00
23	271	9/09	सौरभ शर्मा, क्लर्क	4,060.00
24	272	9/09	प्रवीण कुमार, क्लर्क	4,060.00
			dqy ;kx	₹1]14]141-00

14 fefJr fuf/k ls ;k=k HkÙkk o nSfudh HkÙkk dk :i esa iqoDrkvksa dk xyr ,oa vfu;fer Hkqxrku jkf'k ₹2]148-00 ckjs %&

जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार मिश्रित निधि से प्रवक्ताओं का विभिन्न प्रयोजनों हेतु यात्रा भत्ते व दैनिकी भत्ते के रूप में अनियमित एवं गलत भुगतान किया गया है। हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय–XLII के नियम 42.2 (IX) के अनुसार अन्य कॉलेजों से आए प्रवक्ताओं, प्रसिद्ध नागरिकों, कवियों, कलाकारों व लेखकों को ही मिश्रित निधि से टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। अतः स्वतः स्पष्ट है कि अन्य प्रयोजनों (खेल गतिविधियों के अतिरिक्त) हेतु टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान मिश्रित निधि से करना अनियमित एवं गलत है। अतः निम्न विवरणानुसार ₹2,148.00 के गलत एंव अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित प्रवक्ताओं से की जानी अपेक्षित है व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिष्चित किया जाए।

Ø0 l0	okÅpj l[;k	ekg	iqoDrk dk uke ,oa in	jkf'k	fooj.k@ iz;kstu
1	333	6/05	अष्विनी शर्मा, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा	414.00	बेसिक कोर्स
2	349	8/05	–यथोपरि–	510.00	बेसिक कोर्स
3	354	8/05	आर0पी0 शर्मा, प्रवक्ता संगीत	572	हि0प्र0 विष्व विद्यालय में फार्म जमा करने हेतु

4	394	10/05	युवराज पठानिया	652	हि0प्र0 विष्व विद्यालय में रजिस्ट्रेषन फार्म हेतु
			d|y ;kx	₹2]148-00	

15 जाँच में पाया गया कि विभिन्न प्रयोजनों हेतु महाविद्यालय में कार्यरत स्टाफ को अग्रिम दिया जाता रहा है लेकिन अग्रिम रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अग्रिम रजिस्टर के अभाव में अग्रिम कब दिया गया, कितना दिया गया, प्रयोजन कितना व्यय हुआ, शेष राशि कितनी बची है या भुगतान करनी है, कितने दिन देरी से समायोजन वाऊचर प्रस्तुत किए इत्यादि महत्वपूर्ण तथ्यों की वास्तविकता की जाँच करना असम्भव है। अतः अग्रिम रजिस्टर तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए व अवधि 01.04.05 से 31.03.10 तक के दौरान का अग्रिम रजिस्टर तैयार किया जाए व तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण समायोजन लेखे जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं। वर्तमान अंकेक्षण में विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों के दौरान जिन अग्रिमों के समायोजन की स्थिति स्पष्ट न हो सकी है। उनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Øe la[;k	okÅpj la[;k	ekg o fnukd	deZpkjh dk uke	jkf'k	iz;kstu
1	404	29.10.05	एस0डी0 शर्मा हिन्दी प्रवक्ता	7,000.00	यूथ फेस्टीवल
2	593	5/07	कर्म सिंह,	10,000.00	पुस्तकों के क्रय हेतु
3	143	17.12.08	सुषील कुमार, डी0पी0ई0	12,000.00	टूर्नामैन्ट
4	144	17.12.08	सुषील कुमार, डी0पी0ई0	8,000.00	टूर्नामैन्ट
5	147	18.12.08	ओ0सी0 डोगरा, प्रभारी एन0 एस0 एस0	35,000.00	ऋण एन0एस0एस0
6	296	9/09	षिव दत्त शर्मा, हिन्दी प्रवक्ता	10,000.00	यूथ फैस्टीवल
			d|y ;kx	₹82]000-00	

16 jkf'k ₹7]795-00 dk vuko';d ,oa 0;FkZ 0;; %&

(i) वाऊचर संख्या 342, दिनांक 07.07.05 के अर्न्तगत मैसर्ज बीना प्रिंटिंग प्रैस, देहरा को निम्नलिखित सामान प्रिन्ट करवाने हेतु ₹30,750.00 का भुगतान किया गया है।

Ø0 l0	lkeku dk C;kjk	ek=k	nj	jkf'k
1	विवरणिका	2500	8.40	21,000.00
2	पहचान पत्र	1500	6.50	9,750.00
			d|y ;kx	₹30]750-00

उपरोक्त बिल की जाँच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में केवल 1542 विवरण पत्रिका ही बेची गई है, 30 प्राध्यापकों को जारी किए गए हैं व शेष 928 अनुपयोगी बचे हैं। वर्ष 2005–06 में छात्रों की संख्या 1497 रही है। फलस्वरूप 928 विवरणिका पर 8.40 की दर से भुगतान की गई राशि ₹7,795.00 अनावष्यक एवं व्यर्थ व्यय है। जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। भविष्य में विवरणिका के प्रिन्ट/क्रय से पहले गत वर्ष की छात्रों की संख्या को मध्यनजर रखते हुए ही आवष्यकतानुसार विवरण पत्रिका का मुद्रण करवाया जाए ताकि अनावष्यक एवं व्यर्थ व्यय से बचा जा सके।

(ii) उक्त बिल में प्रिन्ट करवाए गए पहचान पत्रों की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने उपरान्त जारी कर दिया लिखकर खारिज कर दिया गया है। जबकि विवरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख जैसे कि छात्र का नाम, कक्षा, वर्ष व रोल नम्बर, विषयवार रखा जाना अपेक्षित है। अतः वांछित अभिलेख तैयार कर जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

17 जाँच के दौरान पाया गया कि अग्रिम राशियां विभिन्न प्रयोजनों हेतु स्वीकृत करते समय अग्रिम राशि की अधिकतम सीमा अनुमानित व्यय का 70 प्रतिषत को ध्यान में नहीं रखा जाता है व कई बार वास्तविक व्यय से भी अधिक अग्रिम राशियां प्रदान की गई हैं। जोकि वित्तीय नियमों की अवहेलना है। इसके अतिरिक्त व्यय उपरान्त शेष बची राशियां को भी कई–कई माह अनावष्यक रूप से हस्तगत रखने के परिणामस्वरूप अस्थाई दुर्विनियोजन किया जा रहा है, जिस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व भविष्य में अग्रिम राशि स्वीकृत करने से पूर्व अनुमानित व्यय का ऑकलन करने के उपरान्त ही अधिकतम 70 प्रतिषत अनुमानित व्यय का ही अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जाना सुनिष्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को तब तक दूसरा अग्रिम प्रदान न किया जाए, जब तक वह पहले अग्रिम राशि के समायोजन वाऊचर प्रस्तुत न करें। समायोजन वाऊचर प्रस्तुत करने की सीमा, जिस प्रयोजन हेतु अग्रिम दिया है उसकी समाप्ति उपरान्त अधिकतम 15 दिन निर्धारित की जाए व 15 दिन उपरान्त समायोजन वाऊचर प्रस्तुत करने की स्थिति में नियमानुसार दण्ड ब्याज वसूला जाना अपेक्षित है जब वास्तविक व्यय, लिए गए अग्रिम राशि से कम हो व सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी द्वारा शेष बची राशि का अस्थाई दुरूपयोग करने की मंषा से समायोजन वाऊचर प्रस्तुत करने में देरी की हो। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान वास्तविक व्यय से भी अधिक दिए गए अग्रिमों व शेष बची राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे है :–

Ø0 l0	lek;kstu ok0 l0	vfxze jkf'k Lohdfr dh frfFk	vfxze jkf'k	okLrfod O;;	'ks"k cph jkf'k o tek djokus dh frfFk	deZpkjh dk uke	yxHkx ftrus fnu@ekg nsjh ls tek dh
1	373	27.08.05	5,000.00	4,605.00	395.00, दिनांक 03.10.05	एस0डी0 शर्मा	1 माह 3 दिन
2	377	12.09.05	1,500.00	1,101.00	399.00 दिनांक 03.10.05	एस0डी0 शर्मा	18 दिन
3	378	06.09.05	4,500.00	3,122.00	1,378.00 दिनांक 3.10.05	संजय गुप्ता	23 दिन
4	379	02.10.04	6,000.00	3,173.00	2,827.00, दिनांक 31.3.05 व 441.00, दिनांक 6.10.05	राम किषन	5 माह
5	405	11.10.05	8,000.00	7,229.00	771.00, दिनांक 28.10.05	एस0डी0 शर्मा	13 दिन
6	380	06.10.04	1,000.00	820.00	180.00, दिनांक 06.10.05	राम किषन	12 माह
7	389	वाऊचर में उल्लेख नहीं	6,000.00	4,862.00	1,138.00, दिनांक 19.10.05	अष्विनी कुमार	–
8	406	वाऊचर में उल्लेख नहीं	7,000.00	5,679.00	1,321.00, दिनांक 19.10.05	अष्विनी कुमार	–

18 माह 5/07 में पत्रिका निधि ₹29,700.00 का भुगतान 1350 पत्रिकाएं ₹22 .90 की दर से छपवाने पर मैसर्ज़ वीना प्रिटिंग प्रैस देहरा को किया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित है।

Ø0 l0	fcy@okÅpj l[;k o ekg	ek=k	nj	eY;
1	वाऊचर संख्या 9, दिनांक 10.05.07	1350	22 .90	₹30,915.00
		Hkqxrku dh xbZ jkf'k		₹29]700-00

उक्त छपवाई गई पत्रिकाओं की स्टॉक प्रविष्टि पत्रिका निधि में करने के उपरान्त सभी 1350 पत्रिकाएं जारी करने हेतु लाईब्रेरियन को जारी की गई दर्षाई है। पुस्तपालक द्वारा उक्त 1350 पत्रिकाएं किन–किन छात्रों को कब–कब जारी की है से सम्बन्धित वितरण अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके

अभाव में वितरण की वास्तविकता की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अतः वांछित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

19 समायोजन वाऊचर संख्या 405, दिनांक 29.10.05 की जाँच करने पर पाया गया कि ढलियारा से षिमला की यात्रा बाया बिलासपुर न करके बाया चण्डीगढ की है जबकि नजदीकी मार्ग बाया बिलासपुर है फलस्वरूप ₹76.00 (₹38 + ₹38) यात्रा किराये के रूप में श्री एस0डी0 शर्मा को अधिक भुगतान किए गए हैं। इसी तरह रियायती वाऊचर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम देहरा से बाया बिलासपुर न प्राप्त करके बाया चण्डीगढ प्राप्त करने के कारण ₹719.00 का यात्रा किराए के रूप में एस0डी0 शर्मा द्वारा अधिक भुगतान किया गया है। अतः कुल अधिक भुगतान राशि ₹795.00 (₹76 + ₹719) की सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी (श्री एस0डी0 शर्मा) से वसूली की जानी अपेक्षित है व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

20 वाऊचर संख्या 388, दिनांक 26.10.05 के अर्न्तगत ₹73,507.00 का भुगतान मैं0 यूनाइटिड स्पोर्टस, तलवाड़ा को खेलों का सामान खरीदने हेतु किया गया है। उक्त क्रय 3 निविदाओं के आधार पर किया गया है व तीनों निविदाएं होशियारपुर, पंजाब की है। उक्त क्रय हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के अन्दर न करने व पंजाब से क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त क्रय हेतु 3 निविदाएं तलवाड़ा, होशियारपुर से प्राप्त करने का भी औचित्य स्पष्ट किया जाए।

21 माह 9/09 में वाऊचर संख्या 275 के अर्न्तगत ₹3,000.00 डाक टिकटों के क्रय करने पर मिश्रित निधि से व्यय किए गए हैं। यद्यपि हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के नियमों में डाक टिकटें क्रय करने का प्रावधान है लेकिन उक्त मिश्रित निधि से खरीदी गई डाक टिकटों का अलग से स्टॉक रजिस्टर व व्यय का रिकार्ड रखना अनिवार्य है ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि उक्त क्रय टिकटों का व्यय छात्र कल्याण हेतु किया गया है। महाविद्यालय द्वारा अलग से स्टॉक रजिस्टर व डाक टिकटों का व्यय का रिकार्ड न रखने की स्थिति में उक्त व्यय अनियमित है। अतः वांछित अभिलेख तैयार करके जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि डाक टिकटों के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके।

22 माह 11/08 में वाऊचर संख्या 139 के अर्न्तगत श्रीमति ऊषा शर्मा को दिए गए ₹3,000.00 के अग्रिम का समायोजन किया गया है। उक्त समायोजन वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि उन द्वारा 181 छात्रों को ₹15.00 की दर से जलपान करवाने पर ₹2,715.00 व्यय किए गए है। व शेष राशि जमा करवा दी गई है। जलपान के बिल वाऊचर जो बलराज, कॉलेज ठेकेदार का है, में 181 छात्रों के जलपान हेतु ₹15.00 की दर से ₹2,715.00 वसूल पाए जाने दर्षाए गए हैं। वास्तव में जलपान में किन मदों पर व्यय किया गया, का बिल में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जिसके अभाव मं यह बिल (रसीद) शंकापूर्ण प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त संदर्भ में सम्बन्धित कर्मचारी से वास्तविक व्यय के समर्थन में तथ्य प्रस्तुत/प्राप्त करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

23 वित्तीय वर्ष 2009–10 का निधि संग्रह रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। केवल तिथिवार ही कम्पयूटर से विभिन्न निधियों की आय का चार्ट निकाला गया है जोकि अनियिमित है, क्योंकि विभिन्न निधियों की आय का निधिवार व रसीदों के अनुसार निधि संग्रह रजिस्टर तैयार करना आवष्यक है। अतः वित्तीय वर्ष 2009–10 का निधि संग्रह रजिस्टर गत वर्षों की भांति तैयार किया जाए व जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

24 वाऊचर संख्या 592, माह 5/07 में ₹39,520.00 का भुगतान फर्नीचर फैक्टरी बिलासपुर, सरकारी उपक्रम को रेंगल आयरन के 6'' x 4'' आकार के चार नम्बर सूचना पट क्रय करने पर किया गया है। उक्त व्यय मिश्रित निधि पर उचित एवं वैध प्रभार नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के नियम में उक्त प्रकार का व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः सम्पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करने उपरान्त यह राशि मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए अन्यथा अनियमित व्यय को नियमित करवाने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति ली जानी अपेक्षित है।

25 माह 1/07 में वाऊचर संख्या 2 क अर्न्तगत ₹7,702.00 का भुगतान मैं0 स्पोर्टस सैन्टर, तलवाड़ा, होशियारपुर को निम्नलिखित सामान क्रय करने पर सांस्कृतिक गतिविधि निधि से किया गया है।

Øe l[;k	en dk uke	ek=k	nj	eY;
1	ईनाम प्रथम, ट्रॉफी	17	150	2,550.00
2	ईनाम द्वितीय, ट्रॉफी	39	100	3,900.00
3	बैज़	3	125	375.00
4	ईनाम तृतीय, ट्रॉफी	3	60	180.00
5	ईनाम मुख्य अतिथि	1	280	280.00
				₹7]405-00
			VAT 4%	₹297-00
			Total	₹7]702-00

उपरोक्त बिल से कहीं यह स्पष्ट नहीं होता है कि ईनामों के रूप में क्या खरीदा गया है व प्रथम ईनाम, द्वितीय ईनाम, व तृतीय ईनाम के रूप में बांटी गई ट्रॉफी में क्या अन्तर है तथा मुख्य अतिथि को सत्कार के रूप में क्या दिया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय सामान के वितरण का अभिलेख भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है। केवल मद को बांट दिया गया लिखकर स्टॉक से खारिज कर दिया गया है। अतः उचित होगा कि उक्त सन्दर्भ में प्रत्येक मद का स्पष्ट उल्लेख करते हुए वितरण सम्बन्धी अभिलेख आगामी अंकेखण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

26 **y?k vkifr foojf.kdk** %& यह अलग से जारी नही की गई है।

27 **fu"d"k** %& महाविद्यालय के लेखाओं में अत्यधिक सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : वित्त (ले0प0)सी(15)11(2)392/85–खण्ड–4, दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है

i:thdr 1. प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय ढलियारा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को षीघ्र भेजें ।

2 सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश षिमला–171002.

3 निदेषक, (सकैन्डरी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश षिमला–171001.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

¼vuqi dqekj½